संख्या–1056 / 78–आई.टी.–2001 / 25 आई.टी. / 2001

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग – 2 लखनऊः दिनाँक– 01 अगस्त 2001

विषय : कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कम्प्यूटर / हार्डवेयर / साफ्टवेयर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय के विषय में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार के विषय में विसंगतियां उत्पन्न होती है। अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. कम्प्यूटर क्रय केवल खुली निविदा से किया जायेगा। क्रय प्रक्रिया में निविदा दो भागों में जिनमें एक टेक्निकल बिड और दूसरी फइनेन्शियल बिड अलग–अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेगी। सभी विभागों से अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्धारित तिथि तक अपनी आवश्यकता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सूचित कर दें, जिससे उनकी आवश्यकता का समावेश टेण्डर में किया जा सकें। क्रय में समान्तया मात्रा अनुबन्ध हेतु शासकीय नियम लागू होंगे। वर्ष में रू0 1.00 करोड़ की धनराशि से अधिक के कम्प्यूटर क्रय करने की दशा में विभाग का विकल्प होगा कि वह क्रय प्रक्रिय अपने स्तर पर ही आयोजित करें। उस दशा में विभागीय सचिव क्रयसमिति का अध्यक्ष होगा। अन्य प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार समान होगी।

2. केवल ओरिजनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर से क्रय किया जायेगा।

3. बड़ी मात्रा में क्रय के मामलों में आपूर्ति / क्रय आदेश एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करने का निर्णय क्रय समिति द्वारा एल–1 की क्षमता एवं अन्य प्रसांगिक बिन्दुओं को देखते हुए की जायेगी।

4. निविदा में शर्तो में यह शर्त भी रखी जायेगी कि निविदा में उल्लिखित मॉडल की आपूर्ति, आपूर्ति की तिथि को उच्चीकृत विशिष्टियों सहित की जाएगी।

5. क्रय हेतु कम्प्यूटर की तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण निम्नवत् 4 सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा।

(1) प्रशासनिक विभाग के सचिव

(2) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव

(3) वित्त विभाग के सचिव

(4) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक विशेषज्ञ, जिसे प्रशासनिक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से नामित करेंगे।

(5) सचिव, औद्योगिक विकास (प्रभारी स्टोर परचेज) या उनके प्रतिनिधि।

यही समिति क्रय समिति के तौर पर भी कार्य करेगी।

(6) नेगोशियेशन नहीं किया जायेगा।

(7) रू0 10.00 लाख की सीमा तक कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय करने के लिए यदि किसी विभाग ने अपनी आवश्यकता सूचित नहीं की तो वह अनुमोदित पैनल के आपूर्तिकर्ता(ओं) में से किसी को अपने विवेकानुसार कार्यादेश जारी कर सकेंगे। उक्त आदेश समस्त शासकीय विभागों, शासकीय संगठनों के द्वारा किसी भी वित्तीय स्त्रोत से किये गये क्रय पर लागू होंगे। क्रय में यह व्यवस्था भी रखी जायेगी कि यदि किसी कारण से आपूर्ति के स्रोत में टैक्स या ड्यूटीज घटती है तो मूल्य तद्नुसार घटाया जायेगा।

भवदीय,

अखण्ड प्रताप सिंह
औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या – 1056(1)/78–आई.टी 2001/25 आई.टी./2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव/
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव।
4. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राजकीय मुद्रणालय लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को लखनऊ।
11. प्रबन्धक निदेशक, हिलट्रान लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव
विशेष सचिव